प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 12.10.2022 की, जो कि सत्यभामा अजय दुबे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव व्दारा जमानत प्रकरण क्रमांक 812/2022 में अभिलिखित की गई है एवं जिसके कि पक्षकारगण निम्नानुसार हैं :–

राकेश कुमार साहू पिता रामकुमार साहू आयु
28 वर्ष निवासी ग्राम रातापायली, थाना डोंगरगांव,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

.....आवेदक/अभियुक्त,

।। वि रू द्ध ।।

छ0ग0शासन की ओर से आरक्षी केन्द्र, कोतवाली,
राजनांदगांव जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

.....अनावेदक/शासन,

12.10.2022 आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री व्ही0बी0सिंह, अधिवक्ता।

अनावेदक/शासन की ओर से श्री कुंजलाल साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक।

श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी,राजनांदगांव के न्यायालय का दांडिक प्रकरण क्रमांक 2776/2022 शासन विरूद्ध राकेश कुमार साहू वगैरह, अंतर्गत धारा 457,380, 34 भारतीय दंड विधान प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त राकेश कुमार साहू की ओर से श्रीमती पायल साहू धर्मपत्नी राकेश कुमार साहू आयु 26 वष निवासी ग्राम रातापायली थाना डोंगरगांव .जिला– राजनांदगांव (छ0ग0) के व्दारा पेश शपथ पत्र के व्दारा समर्थित आवेदक/अभियुक्त का धारा 439 दंड प्रकिया संहिता के अधीन यह तृतीय जमानत आवेदन होना बताया है तथा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अपर सत्र न्यायाधीश वास्ते–सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव व्दारा दिनांक 9.6.2022 को निरस्त कर दिया गया है एवं व्दितीय जमानत आवेदन पत्र माननीय छ0ग0उच्च न्यायालय, बिलासपुर व्दारा निरस्त किया गया है । इसके

अलावा यह भी घोषित किया है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदन किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है ।

जमानत आवेदन इस आशय का है कि आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के अपराध क्रमांक 427/2022 धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध में आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजनांदगांव के समक्ष पेश किया गया था, जहॉ से आवेदक/अभियुक्त को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त व्दारा पेश जमानत आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजनांदगांव व्दारा निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण में अभियोजन व्दारा विवेचना पूर्ण कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजनांदगांव के न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, जिसका दांडिक प्रकरण क्रमांक–2776/2022 है, जो श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव के न्यायालय में लंबित है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक का उक्त अपराध से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की पत्नी पायल साहू वर्तमान में आठ माह के गर्भ से है। डॉक्टर के अनुसार अक्टूबर माह में डिलीवरी होना है। उसकी पत्नी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार डिलीवरी अस्पताल में कराना होगा, जिसके कारण आवेदक को एक माह के लिए अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। आवेदक उपरोक्त पते पर निवास करता है, जिसके चलते उसके अन्यत्र पलायन करने व भागने या फरार होने की कोई संभावना विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है कि जमानत पर रिहाई उपरान्त् किसी भी अभियोजन

साक्षियों को प्रभावित कर सके। आवेदक न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने को तत्पर है तथा प्रत्येक श्रवण तिथि में उपस्थित रहने वचनबद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को एक माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

श्री कुंजलाल साहू , अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर होना बताते हुए जमानत आवेदन का विरोध किया है ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया गया है। उसे झूंठा फंसाया गया है। वह न्यायालय व्दारा आदेशित समस्त शर्तो का पालन करने को तैयार है। आवेदक/अभियुक्त की पत्नी गर्भवती है तथा अक्टूबर माह में ही उसकी डिलीवरी होना है, जिसके लिए आवेदक/अभियुक्त का अपनी पत्नी के पास रहना जरूरी है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। अतः आवेदक/अभियुक्त को एक माह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये तथा श्री आशीष भगत,न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी,राजनांदगांव के न्यायालय का दांडिक प्रकरण क्रमांक 2776/2022, शासन विरूद्ध राकेश कुमार साहू वगैरह, अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान का अवलोकन किया गया।

अभियोजन के अनुसार गजानंद देवांगन बिजली ऑफिस कॉलोनी, कैलाश नगर, राजनांदगांव व्दारा दिनांक 22.5.2022 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली, राजनांदगांव में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि वह छ0ग0स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

राजनांदगांव पूर्व जोन में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ है। उसके विभाग में एक टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (बेंगलोर) की कम्पनी का बिजली उपभोक्ताओं के बिल की राशि का कलेक्शन करने का अनुबंध है। उक्त कम्पनी की शाख उनके कार्यालय के अंदर कैलाश नगर, राजनांदगांव में स्थित है, जिसका शाखा प्रबंधक एम.मुरूगन है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल कलेक्शन की राशि दूसरे दिन उसके संभागीय कार्यालय का कैशियर बृजलाल वर्मा ए.टी.पी.ऑपरेटर के पास जाकर कनेक्शन की गई राशि प्राप्त करता है एवं पावती देता है। एक दिन में चार–पॉच लाख रूपये की राशि कलेक्शन होती है। उक्त कम्पनी के व्दारा अवकाश के दिन भी बिजली उपभोक्ताओं से बिजली बिल की राशि कलेक्शन की जाती है। दिनांक 21,22–5–2022 को अवकाश रहने से उसके विभाग का कार्यालय का कैशियर कलेक्शन की राशि लेने नहीं गया था । उपरोक्त कम्पनी व्दारा दिनांक 20,21,22–5–2022 को बिजली उपभोक्ताओं की कलेक्शन की गई राशि को ऑफिस में ही लाकर रखा गया था। दिनांक 23.5.2022 दिन सोमवार की सुबह लगभग 8. 45 बजे बिजली कर्मचारी ओमकार कावड़े ने प्रार्थी के मोबाईल फोन पर सूचना दिया कि कैलाश नगर में स्थित ए.टी.पी. का आपरेटर संजय निषाद व्दारा बताया गया है कि कैलाश नगर कार्यालय में लगी ए.टी.पी.मशीन के कार्यालय एवं रूम का ताला टूटा हुआ है, तब यह 9.15 बजे कार्यालय पहुॅचा, जहॉ मौके पर एड टेक्नोलाजी इंडिया लिमिटेड के शाखा प्रबंधक एम.मुरूगन, ए.टी.पी.आपरेटर संजय निषाद, बिजली कर्मचारी ओमकार कावड़े उपस्थित थे। उन सभी की उपस्थिति में ए.टी.पी.मशीन रूम का जायजा लेने पर सामने गेट का ताला तथा अंदर चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था एवं लॉकर के उपरी भाग का चादर कटा हुआ था । उक्त लोगों की उपस्थिति में लॉकर को खुलवाकर रकम की गिनती की गई, तो लॉकर में

5,55,859.00 रूपये था। कोई अज्ञात व्यक्ति ने दिनांक 22 एवं 23 के दरम्यानी रात को ए.टी.पी.मशीन रूम में प्रवेश कर लॉकर के उपरी भाग को चादर से काटकर लाकर में रखे करीबन 5 से 10 लाख रूपये की चोरी कर ले गया था।

प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र, कोतवाली, राजनांदगांव में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 427/2022 अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई तथा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पाये जाने से उन्हें गिरफतार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त् आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय व्दारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त किया गया था तथा माननीय छ0ग0उच्च न्यायालय, बिलासपुर व्दारा भी आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। यह न्यायालय विचारण न्यायालय नहीं है तथा दंड प्रक्रिया संहिता में अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः आवेदक/अभियुक्त राकेश कुमार साहू की ओर से पेश अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने बाबत पेश आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2022 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट ,प्रथम श्रेणी राजनांदगांव (छ0ग0) को उनके न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 2776/2022, शासन विरूद्ध राकेश कुमार

साहू वगैरह के साथ भेजी जाए।

यह जमानत प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख जमा अभिलेखागार हो ।

सही/–
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव(छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

श्री आशीष भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी,राजनांदगांव (छ0ग0)को सूचनार्थ अग्रेषित ।

सही/–

(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
राजनांदगांव(छ.ग.)

SATYABHAMA AJAY DUBEY

Digitally signed by SATYABHAMA AJAY DUBEY
Date: 2022.10.12 16:40:24 +0530